सं.राबैं.पुनर्वित्त-नीति(बुनकर)No.NB.DoR-Policy(Weavers)/ 171/एA-7(P)/2020-21
परिपत्र सं EC No. 167 / पुनर्वित्त DoR-54 / 2020

NABARD

11 जून 2020

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय

<u>नाबार्ड द्वारा अलग-अलग बुनकरों/ हथकरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, परस्पर सहयोग करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कंपनियों की कार्यशील पूंजी और विपणन आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1)(iv) और धारा 21(1)(v) के साथ पठित धारा 21(4) के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं के लिए प्रावधान – 2020-21 के लिए नीति</u>	**<u>Provision of Short term credit limits to RRBs under Section 21(1)(iv)&(v) read with Section 21(4) of NABARD Act,1981 for financing working capital and marketing requirements of Individual weavers / Handloom Weaver Groups (HWGs) / Master Weavers (MWs), weaver members of defunct/non working weaver societies, Mutually aided Cooperative Societies, Societies outside the Cooperative folds and Producer Group Companies by NABARD– Policy for the year 2020-21</u>**
कृपया 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं 75/पुनर्वित्त-25/ 2014 के साथ पठित 21 जून 2019 का हमारा परिपत्र सं 191 / पुनर्वित्त –52/2019-20 देखें जिसके साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बुनकरों/ हथकरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, परस्पर सहयोग करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कंपनियों की कार्यशील पूंजी और विपणन आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए अल्पलावधि ऋण सीमाओं के प्रावधान की सूचना दी गई है.	Please refer to our Policy Circular No. 191/DoR-52/2019-20 dated 21 June 2019 read with Circular No.75/DoR-25/2014 dated 23 April 2014 communicating NABARD's policy for F.Y. 2019-20 for provision of short term credit limit to Regional Rural Banks for financing working capital and marketing requirements of individual weavers / Handloom Weaver Groups (HWGs)/ Master Weavers, weaver members of defunct/ non-working weaver societies, Mutually aided Cooperative Societies, Societies outside the Cooperative folds and Producer Group Companies.
2. वर्ष 2020-21 के लिए भी मोटे तौर पर इसी नीति को जारी रखने का निर्णय किया गया है. चालू	2. It has been decided to broadly, continue the same policy during the year 2020-21. The eligibility criteria pertaining to the policy for current financial year is

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

वित्तीय वर्ष के लिए पात्रता संबंधी मानदंड अनुबंध में दिए गए हैं.	furnished in the Annexure.
3. नाबार्ड की इस पुनर्वित्त ऋण सुविधा की ब्याज दर 5.55% प्रति वर्ष होगी जोकि तिमाही आधार पर, प्रत्येक तिमाही के पहले दिन – 01 जुलाई, 01 अक्तूबर, 01 जनवरी और 01 अप्रैल को या मूलधन की पूर्ण चुकौती पर देय होगी. तथापि, नाबार्ड समय-समय इसमें संशोधन कर सकता है. 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं.75/पुनर्वित्त-25/2014 में इंगित नियम और शर्तें और पुनर्वित्त की प्रमात्रा भी तदनुसार परिवर्तित होगी.	3. Interest rate on NABARD's refinance under this line of credit is at present 5.55 % p.a., payable at quarterly rests on the first day of each quarter i.e. on 01 July, 01 October, 01 January and 01 April every year, or on repayment of the entire principal amount. It is, however, subject to revision by NABARD from time to time. Theterms and conditions and quantum of refinance as indicated in our Circular No.75/DoR-25/2014 dated 23 April 2014 may also undergo changes accordingly.
4. कृपया पावती दें.	4. Kindly acknowledge receipt of the same.

भवदीय

(जिजि माम्मेन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोपरि

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

अनुबंध Annexure

नाबार्ड द्वारा अलग-अलग बुनकरों/ हथकरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, परस्पर सहयोग करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कंपनियों की कार्यशील पूंजी और विपणन आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं के लिए प्रावधान – 2020-21 के लिए नीति

Provision of Short term credit limits by NABARD to RRBs for financing working capital and marketing requirements of Individual weavers / Handloom Weaver Groups (HWGs) / Master Weavers (MWs), weaver members of defunct/ non-working weaver societies, Mutually aided Cooperative Societies, Societies outside the Cooperative folds and Producer Group Companies

I. Eligibility Criteria for RRBs

(A) लेखा परीक्षा Audit

वर्ष 2018-19 की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखा-परीक्षा पूरी होनी चाहिए और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरणियाँ प्राप्त हो जानी चाहिए. जहाँ भी वर्ष 2019-20 के लिए लेखा-परीक्षा पूरी हो गई है, वित्तीय विवरणियों सहित उनकी प्रस्तुति की जानी चाहिए. साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के 31 मार्च 2020 की वित्तीय स्थिति की लेखा-परीक्षा 30 जून 2020 तक पूरी की जानी चाहिए और 31.03.2020 की स्थिति को 01.07.2020 को या उसके बाद ऋण सीमाओं की स्वीकृति और अहरणों के लिए माना जाएगा.

Audit of RRBs should have been completed for the year 2018-19 and the relative audit reports together with financial statements received by NABARD. Wherever, audit for 2019-20 is completed and report available, the same may be submitted together with financial statements. Further, the audit of Regional Rural Banks as on 31.03.2020 should be completed by 30.06.2020 and the position as on 31.03.2020 will be reckoned for sanction and drawal of credit limits on or after 01.07.2020.

(B) सीआरएआर मापदंडCRAR

31 मार्च 2019 को 9% से अधिक सीआरएआर होना चाहिए. 31 मार्च 2019 को जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सीआरएआर 9% से कम है किन्तु 31 मार्च 2020 को 9% से अधिक है वे भी पात्र होंगे.

CRAR should be 9 % or more as on 31.03.2019. RRBs with CRAR less than 9% as on 31.03.2019 but more than 9% as on 31.03.2020 would also be eligible.

(C) अनर्जक आस्तियों(एनपीए) संबंधी मानदंड NPA norms

6% निवल अनर्जक आस्तियों वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे. तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से इन राज्यों निवल अनर्जक आस्तियों की शर्त में 5% की छूट होगी.

RRBs having net NPAs upto 6% will be eligible for refinance. However, with a view to increasing the credit flow in the North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, the net NPA norms may be relaxed by additional 5% in these States.

II. 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. 75/पुनर्वित्त-25/2014 में दिए गए अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगे.

All other terms and conditions detailed in Circular No.75/DoR-25/2014 dated 23 April 2014 remain unchanged.

*****